

(अपलोड करने हेतु)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, शिक्षेवि. गंगनहर ओ.एफ.डी. खण्ड-7 श्रीगंगानगर

क्रमांक : 3699 - 3726

दिनांक : 15.12.2020

ई-निविदा सूचना संख्या 03 वर्ष 2020-21

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिये सक्षम श्रेणी में पंजीकृत फर्मों/सर्वेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमन्त्रित की जाती है।

निम्नलिखित चकों में पक्के खालों का निर्माण कार्य (गंग कैनल सिस्टम) विभागीय डिजाइन एवं स्पेशिफिकेशन के अनुसार (समस्त निर्माण सामग्री ठेकेदार की स्वयं की होगी)।

क्र. स.	निम्न चकों में पक्का खाला निर्माण कार्य	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि		ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुल्क	निविदा शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि
			1 प्रतिशत	1/2 प्रतिशत			
1	1B	39.12	39120	19560	500	1000	5 माह
2	2B	35.02	35020	17510	500	1000	5 माह
3	1D-I	42.72	42720	21360	500	1000	5 माह
4	6B	35.54	35540	17770	500	1000	5 माह
5	1BKR	30.89	30890	15445	500	1000	5 माह
6	1D-II	23.80	23800	11900	500	1000	5 माह

1. निविदा प्रपत्रों को वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक निविदा को इलैक्ट्रॉनिक फारमेट में वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर जमा कराये। यह निविदा वेबसाइट <http://www.deproline.org> तथा विभागीय वेबसाइट <http://www.cad.rajasthan.gov.in> & <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है।
2. राजस्थान सरकार, जयपुर वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के आदेश क्रमांक प.6(5)वित्त/साविलेनि/2018 दिनांक 27.04.2020 के अनुसार बिडर द्वारा ई-ग्रास पर प्रोफाईल बनाने के बाद ई-प्रोक्योरमेंट हेतु बोली दस्तावेज मूल्य, बिड सिक्योरिटी एवं RISL फीस का भुगतान एक ही चालान से ऑल लाईन जमा करवाया जावेगा। इस राशि में से बोली दस्तावेज मूल्य एवं RISL फीस रिफण्ड योग्य नहीं होगी। बिड सिक्योरिटी हेतु बजट मद 8443-108 (निर्माण विभाग), कार्यालय का डिवीजन कोड 3186 है। RISL की फीस जमा करवाने हेतु बजट मद 8658-00-102-(16)-(02) निर्माण विभाग है। बोली दस्तावेज की फीस का राजस्व बजट मद 0075-00-800-52-01 है।
3. निविदा प्रपत्रों हेतु आवेदन/डाउनलोड की अवधि दिनांक 21.12.2020 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 04.01.2021 सांय 4.00 बजे तक होगी।

(अ) निविदा प्रपत्र इलैक्ट्रॉनिक फारमेट वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर दिनांक 21.12.2020 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 04.01.2021 सांय 4.00 बजे तक जमा/अपलोड कराये जा सकते हैं एवं प्राप्त तकनीकी निविदाएं इलैक्ट्रॉनिक फारमेट में वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर दिनांक 06.01.2021 को सुबह

NIT03,2020-21



11.00 बजे खोली जायेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले कार्य दिवस को उसी समय व उसी स्थान पर निविदाएं खोली जायेगी।

(ब) निविदा जमा करवाने के बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑन लाइन होगी।

(स) निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सारी निविदाएं नहीं खोली जा सकती है तो इसके अगले कार्य दिवस शेष निविदाएं खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।

(द) उपरोक्त सारणी के कॉलम 4 या 5 में दर्शायी गई धरोहर राशि, कॉलम 6 में दर्शायी गई ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क राशि एवं कॉलम 7 में दर्शायी गई निविदा शुल्क राशि का भुगतान राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6(5)वित्त/साविलेनि/2018/जयपुर दिनांक 27.04.2020 के पूर्ण अनुसरण में नियमानुसार बिडर द्वारा ई-ग्रास पर प्रोफाईल बनाने के बाद एक ही चालान से ऑनलाईन जमा करवाना आवश्यक होगा। उक्त राशि में से ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क राशि (आर.आई.एस.एल.फीस) एवं निविदा शुल्क राशि रिफण्ड योग्य नहीं होगी। विवरण निम्नानुसार है :-

			Treasury Ganganagar	
Particulars. of Items	Budget Head	Amount in Rs.	DDO Code	Division code
Bid Security	8443-00-108-00-00	As per above table column 4 or 5	105219	609
Bid Document Fees	0075-00-800-52-01	As per above table column no. 7	105219	609
RISL Processing Fees	8658-00-102-16-02	As per above table column no. 6	105219	609

4. कार्य करने हेतु कार्य स्थल उपलब्ध है।
5. कार्यों से संबंधित निविदा प्रपत्र ई-निविदा सूचना के दिनांक 21.12.2020 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 04.01.2021 सांय 4.00 बजे तक देखा जा सकता है।
6. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क/धरोहर राशि ई-ग्रास चालान के रूप (Payble at Sri Ganganagar) में दिनांक 04.01.2021 को शाम 04.00 बजे तक जमा करवाना आवश्यक है।
7. यदि संवेदक का नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नि) कार्य से संबंधित वृत्त अथवा खण्ड में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
8. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर अथवा इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवानिवृति के दो वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां सेवा लेने से पहले अनुमति नहीं ली है तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
9. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क/धरोहर राशि/RISL फीस के ई-ग्रास के माध्यम से जमा करवायी गयी ई-चालान की प्रति दिनांक 04.01.2021 को सांय 6.00 बजे तक जमा करवाना आवश्यक है।
10. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताए निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।
11. आर.पी.डब्ल्यू. ए-100 की समस्त शर्तें मान्य होगी।

NIT03,2020-21

12. संवेदक द्वारा उक्त कार्यों के लिए निर्धारित मशीनरी एवं साज समान जो निविदा की स्पेशल कन्डीशन में वर्णित है को स्वयं के पास होने या किराये पर लेने का प्रमाण पत्र देना होगा।
13. कार्य पूर्ण करने की अवधि में मानसून अवधि सम्मिलित है।
14. कार्य का दोष निवारण एवं उनके सुधार (डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड) का उत्तरदायित्व कार्य पूर्णता के पश्चात् एक पूरी वर्षा की समाप्ति या कार्य पूर्ण करने की अवधि की तिथि के 6 मास पश्चात् तक जो भी पश्चात्वर्ती हो तक रहेगा।
15. निविदा खोलने की दिनांक से निविदा स्वीकृत हेतु मान्य अवधि तक यदि निविदादाता अपनी निविदा में कोई संशोधन करता है अथवा निविदा वापिस लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
16. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ-1 एफ.डी/जीएफएण्डएआर/2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं. 19/2011) के अनुसार रु. 500/-, 1000/- रुपये की राशि ई-प्रक्रिया शुल्क ई-ग्रास के माध्यम से ऑनलाईन इस बजट मद 8658-00-102-16-(02) में जमा करवाना होगा।
17. ई-टेंडरिंग के लिए निविदादाता हेतु निर्देश
  - (अ) इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्रों को इन्टरनेट साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड कर सकते हैं।
  - (ब) निविदा में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टीफिकेट इनफोरमेशन टेकनोलोजी एक्ट-2000 के तहत प्राप्त करना होगा। जो इलैक्ट्रॉनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टीफिकेट सीसीए द्वारा स्वीकृत एजेंसी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टीफिकेट है, नया डिजिटल सर्टीफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
  - (स) निविदादाताओं का निविदा प्रपत्र इलैक्ट्रॉनिक फारमेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होंगे उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार नहीं होगा।
  - (द) ऑनलाईन निविदा निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपरोक्त क्रम सं. 3 के अनुसार खोली जायेगी।
  - (य) इलैक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवें की निविदा प्रपत्रों से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर के साथ स्कैन करते हुये दस्तावेजों को दिनांक 04.01.2021 शाम 06.00 बजे तक अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में जमा करवावें।
  - (र) कोई भी टैण्डर इलैक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेवार विभाग नहीं होगा।
  - (ल) टैण्डर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करें।
18. निविदाकर्ता/ठेकेदार द्वारा भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार (नियो एवं सेवा शर्तें विनि) अधिनियम 1996 के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों का पंजियन करवाना होगा तथा श्रमिकों का उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत देय हित लाभ व सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जावेंगी। निर्माण कार्य की लागत का 1 प्रतिशत उपकर अधिनियम के अन्तर्गत काटा जायेगा।
19. निर्माण कार्यों में मसाला मिलाने के लिये मिक्सर का प्रयोग करना होगा।
20. निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जैसे ईन्ट, बजरी, सिमेन्ट इत्यादि के टेस्ट रिजल्ट सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ही उपयोग में लेना होगा।
21. निविदादाता इन प्रपत्रों को डाउनलोड कर सकते हैं। निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क ई-ग्रास के

- माध्यम से ऑनलाईन जमा करवा कर ई-चालान की प्रति को इस कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करवाना आवश्यक है।
22. शर्त युक्त निविदा मान्य नहीं होगी।

अधिकाधी अभियन्ता  
गंगनहर ओ०एफ०डी० खण्ड-7  
सि०क्षे०वि० श्रीगंगानर

कमांक : 3702-26

दिनांक : 15.12.2026

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत/प्रेषित है :-

1. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता, सी.ए.डी. (पश्चिम) बीकानेर।
2. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता सीएडी वृत्त हनुमानगढ।
3. श्रीमान् नोडल ऑफिसर (वेबसाईट) एवं अधि. अभि. व तकनीकी सहायक आयुक्त सिक्षेवि, बीकानेर को मय सीडी विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. अधिकाधी अभियन्ता खण्ड- सि.क्षे.वि.
5. कोषाधिकारी श्रीगंगानगर।
6. सहायक अभियन्ता गंगनहर ओ.एफ.डी. उपखण्ड 5/6/7/8 सि.क्षे.वि. श्रीगंगानगर।
7. कान्ट्रेक्टर एसोसिएशन, बीकानेर/श्रीगंगानगर
8. वरिष्ठ प्रारूपकार/खण्डीय लेखाकार/कैशियर, खण्डीय कार्यालय।
9. नोटिस बोर्ड।

अधिकाधी अभियन्ता  
गंगनहर ओ०एफ०डी० खण्ड-7  
सि०क्षे०वि० श्रीगंगानर

NIT03,2020-21